सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियत्रंणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

01. **विभाग का नाम** - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर

(मैनुअल -1)

02. **विभाग के उद्देश्य/दायित्व/कर्त्तव्य :-**

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण-संवर्धन के दायित्वों का निर्वहन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जाता है-

01. उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करवाना ।
02. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन केन्द्र से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन के आबंटन को जिलेवार जारी करना एवं वितरण कराना ।
03. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का परिपालन ।
04. घोषित समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं तथा मक्का के उपार्जन की व्यवस्था कराना, जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके ।
05. विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य ।
06. उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन ।
07. विभाग के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ।
08. बाजारों में मूल्य नियंत्रण बनाये रखने हेतु प्रतिदिन दैनिक बाजार भाव की जानकारी भारत सरकार को उपलब्ध कराना ।

(मैनुअल -2)

अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य

01. **संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार एवं कर्त्तव्य -**

प्रशासकीय अधिकार

01. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन ।
02. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन ।
03. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अमले की नियुक्ति ।

04. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण ।

05. समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं एवं मक्का उपार्जन से संबंधित कार्यवाही का पर्यवेक्षण ।

06. उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराने की कार्यवाही का पर्यवेक्षण ।

07. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित क्रियाकलापों का क्रियान्वयन ।

08. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित समस्त नीतिगत कार्यों का क्रियान्वयन ।

<u>वित्तीय अधिकार</u>

01. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहित खण्ड 1 एवं 2 में निहित शक्तियों का प्रयोग ।

02. संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भत्ता आदि का आहरण ।

<u>संचालक के कर्तव्य</u>

01. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण तथा केन्द्र शासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि आबंटन की जिलेवार पुनराबंटन ।

02. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को पात्रतानुसार गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराना ।

03. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराना ।

04. अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।

05. समर्थन मूल्य के तहत कृषकों से धान, मक्का आदि के उपार्जन की व्यवस्था कराना ।

06. उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित गतिविधियां संचालन करना ।

07. सचिव, खाद्य द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य ।

02. **संयुक्त संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार एवं कर्तव्य-**

<u>प्रशासकीय अधिकार</u>

01. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन ।

02. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन ।

03. अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण ।

04. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित कार्य ।

<u>वित्तीय अधिकार</u>

- निरंक -

<u>संयुक्त संचालक के कर्तव्य</u>

01. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण तथा केन्द्र शासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि के प्राप्त आबंटन का जिलेवार पुनराबंटन जारी करना एवं निर्धारित समयावधि में उठाव सुनिश्चित करना ।
02. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को पात्रतानुसार समय पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराना ।
03. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराना ।
04. अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।
05. संचालक, खाद्य द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।

03. उप संचालक एवं सहायक संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार एवं कर्तव्य -

<u>प्रशासकीय अधिकार</u>

01. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन ।
02. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन ।
03. अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण ।

<u>वित्तीय अधिकार</u>

- निरंक -

सहायक संचालक के कर्तव्य

01. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण तथा केन्द्र शासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, शक्कर, केरोसीन आदि के आबंटन का जिलेवार पुनराबंटन जारी करना एवं निर्धारित समयावधि में उठाव सुनिश्चित कराना ।
02. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ताओं को पात्रतानुसार समय पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराना ।
03. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन एवं परिपालन कराना ।
04. अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।

05. संचालक एवं संयुक्त संचालक, खाद्य द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य ।

(मैनुअल -3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन किया जाता है ।

(मैनुअल -4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन - प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गई व्यवस्था का वितरण

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के खण्ड 7 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुचित पर्यवेक्षण हेतु जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से जिला स्तर, विकासखंड स्तर एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है ।

(मैनुअल -5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण-

लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी -

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक/ नियंत्रणाधीन
01	-	समय-समय पर संचालनालय द्वारा जारी किये गये स्थापना बजट खाद्य आदि से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं ।	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रक्रिया अनुसार	संचालक

(मैनुअल -6)

बोर्ड परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकाय -

क्र.सं.	संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	संबद्ध संस्था का प्रकार	संबद्ध संस्था का परिचय	संबद्ध संस्था की भूमिका
01	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, कचहरी	निगम/मंडल	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा 99 प्रदाय केन्द्र	कार्पोरेशन द्वारा शासन के कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक वितरण

	चौक, रायपुर		संचालित हैं । भारतीय खाद्य निगम के 11 प्रदाय केन्द्रों से गेहूं एवं शक्कर मिलों से शक्कर का निगम द्वारा उठाव किया जाकर प्रदाय केन्द्रों तक पहुंचाया जाता है ।	प्रणाली का कार्य संपादित किया जा रहा है ।
02	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, आनंद नगर रायपर	निगम/मंडल	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की स्थापना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेव्हलपमेंट एण्ड वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत 02 मई, 2002 को हुई है । निगम में राज्य शासन एवं केन्द्रीय भण्डार निगम 50-50 प्रतिशंत अंशधारी है ।	स्कंधों के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करना तथा वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का प्रमुख उद्देश्य है ।
03	छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर	आयोग	छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण हेतु दिनांक 01-11-202 को किया गया है ।	उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित शिकायतों में रूपये 20.00 लाख से 1.00 करोड़ तक की शिकायतों की सुनवाई की जाती है । जिला फोरम के फैसलों के विरूद्ध दायर अपील प्रकरणोंकी भी सुनवाई की जाती है ।

(मैनुअल -7)

ykd lpuk vf/kdkfj;k d uke] inuke ,o vU; fof'kf"V;k

लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी की जानकारी निम्नानुसार है–

ykd ikf/kdj.k dk uke %&

lgk;d ykd lpuk vf/kdkjh &

d- l-	uke	inuke	nijHkk"k	irk
1	श्रीमती नीलम एल्मा	उप संचालक	0771–2105411	खाद्य संचालनालय रायपुर

ykd lpuk vf/kdkjh &

d-l-	uke	inuke	nijHkk"k	irk
1	श्री राजीव जायसवाल	संयुक्त संचालक	0771–2105413	खाद्य संचालनालय रायपुर

foHkkxh; vihyh; vf/kdkjh &

d-l-	uke	inuke	nijHkk"k	irk
1	श्री सोनमणि बोरा	संचालक	0771–4058189	खाद्य संचालनालय रायपुर

fu.k; yu dh ifd;k %&

I. लोक प्राधिकारियों द्वारा किसी विषय पर छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार निर्णय जाता है ।

II. fdlh fo'k"k fo"k; ij fu.k; yu d fy; fu/kkfjr fu;e vkj ifd;k &

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रचलित नियंत्रण आदेशें में निहित उपबंधों के आधार पर निर्णय लिया जाता है ।

III. fy; x; fu.k; dk turk rd igpku dh O;oLFkk &

समाचार पत्रों एवं प्रचार माध्यमों से ।

IV. vfre fu.k; yu d fy, ykd ikf/kdkjh %& lpkyd

(मैनुअल -9)

lpkyuky; e inLFk vf/kdkfj;k vkj depkfj;k dh tkudkjh %&

d- l-	uke	inuke	nijHkk"k	irk

1	श्री सोनमणि बोरा	संचालक	0771—4058189	खाद्य संचालनालय न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर
2	श्री राजीव कुमार जायसवाल	संयुक्त संचालक	0771—2105413	...................;;........................
3	श्रीमती नीलम एल्मा	उप संचालक	0771—2105411	...................;;........................
4	श्री व्हीडीआर भगत	उप संचालक	0771—4035108	...................;;........................
5	मु. युनुस खान	उप संचालक वित्त लेखा		
5	श्री देवलाल सिंह	अधीक्षक		...................;;........................
6	श्री शुभकरण वर्मा	अधीक्षक		...................;;........................
7	श्री मुकेश दुबे	सहायक खाद्य अधिकारी		...................;;........................
8	श्री शाहनवाज खान	खाद्य निरीक्षक		...................;;........................
9	श्री अरूण श्रीवास्तव	खाद्य निरीक्षक		...................;;........................
10	कु0 मजूला सलाम	खाद्य निरीक्षक		...................;;........................
11	श्री जागेश्वर राम भगत	खाद्य निरीक्षक		...................;;........................
12	श्री राकेश मेहता	सहायक ग्रेड—1		...................;;........................
13	कु0 अमरौतिन खुंटे	सहायक ग्रेड—2		...................;;........................
14	श्री सोधीराम	सहायक ग्रेड—3		...................;;........................
15	श्री भूषण सिन्हा	सहायक ग्रेड—3		...................;;........................
16	श्री ईश्वर राव जगताप	सहायक ग्रेड—3		खाद्य संचालनालय न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर
17	कु0 नेहा ओझा	सहायक ग्रेड—3		...................;;........................
18	श्री दिलीप बंजारे	सहायक ग्रेड—3		खाद्य संचालनालय न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर
19	श्री युवराज साहू	सहायक ग्रेड—3		...................;;........................
20	श्री मनीष पाण्डेय	सहायक ग्रेड—3		...................;;......................

				.
21	श्रीमती ललिता वर्मा	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा)		...................;;....................... .
22	श्री अब्दुल हैदर	वाहन चालक (संविदा)		...................;;....................... .
23	श्री आलोक ओगरे	स्टेनो टायपिस्ट		...................;;....................... .
24	श्री संतनदेव जोगी	सहायक ग्रेड–3		...................;;....................... .
25	श्री मंगल दास चतुर्वेदी	डाटा एंट्री आपरेटर		...................;;....................... .
26	श्री पुरूषोत्तम दीवान	सहायक ग्रेड–3		...................;;....................... .

(मैनुअल -10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन विवरण निम्नानुसार है :-

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
संचालक	01	01	37400-67000 (भा.प्र.से.)	10000
अपर संचालक	01	01	37400-67000	8700
संयुक्त संचालक	02	01	15600-39100	7600
संयुक्त संचालक (वित्त) लेखा	01	01	15600-39100	7600
उप संचालक	03	02	15600-39100	6600
सहायक संचालक	03	02	15600-39100	5400
अधीक्षक	03	02	9300-34800	4300
सहायक वर्ग-1	04	02	5200-20200	2800
सहायक वर्ग-2	04	01	5200-20200	2400
सहायक वर्ग-3	09	06	5200-20200	1900
लेखापाल	01	01	5200-20200	2400
कम्प्यूटर प्रोग्रामर (सहायक)	01	01	9300-34800	4200
स्टेनो टायपिस्ट	01	01	5200-20200	1900

शीघ्रलेखक ग्रेड-2	01	0	9300-34800	4300
शीघ्रलेखक ग्रेड-3	01	0	5200-20200	1900
खाद्य निरीक्षक	01	02	5200-20200	2800
डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	0	5200-20200	2200
डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	01	01	एकमुश्त	एकमुश्त
वाहन चालक	01	01	5200-20200	1900
भृत्य	02	0	4750-7440	1300
दफ्तरी	01	0	4750-7440	1400
जमादार	01	0	4750-7440	1400
वाहन चालक (कले.दर)	02	02	कलेक्टर दर	कलेक्टर दर
भृत्य (कले.दर)	02	02	कलेक्टर दर	कलेक्टर दर
चौकीदार	01	01	कलेक्टर दर	कलेक्टर दर
चौकीदार (कले.दर)	01	01	कलेक्टर दर	कलेक्टर दर
फर्राश (कले.दर)	01	01	कलेक्टर दर	कलेक्टर दर
स्वीपर (अंशकालिक)	01	01	कलेक्टर दर	कलेक्टर दर

(मैनुअल -11 एवं 12)

प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

निर्माण विकास तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरण के लिए

विभाग का बजट

वर्ष 2011-12 के लिए आयोजनेत्तर/आयोजना बजट प्रावधान की जानकारी

विभाग का बजट मुख्यतः आयोजनेत्तर है । केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से विशेष कार्यों के लिए प्राप्त राशियां आयोजना मद में स्वीकृत होती है । वर्ष 2011-12 के लिए आयोजनेत्तर/आयोजना बजट में निम्नानुसार राशि प्रावधानित है :-

(राशि हजार रूपयों में)

क्र.	विवरण	बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 11-12 हेतु	
		आयोजनेत्तर	आयोजना
1.	एक राजस्व अनुभाग मांग संख्या-39-		

	शीर्ष - 2235		
	800 - अन्य व्यय	0	4741000
	योग लेखा शीर्ष - 2235 मतदेय	**0**	**4741000**
2	**शीर्ष - 2408**		
	001- निर्देशन और प्रशासन	170301	1583
	003- प्रशिक्षण	0	1000
	102 - खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	3541011	183010
	190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश	0	74010
	योग लेखा शीर्ष - 2408 मतदेय **भारित**	3711312 50	259603 0
3	**3475 - अन्य, सामान्य आर्थिक सेवाएं** **106- तौल और माप का विनियम**	37775	0
	योग शीर्ष - 3475	**37775**	**0**
	योग - राजस्व अनुभाग मतदेय	**3749087**	**5000603**
	भारित	**50**	**0**
4.	**दो पूंजी अनुभाग शीर्ष-6408**		
	101- खरीदी और पूर्ति	0	30000
	190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार	0	3750000
	योग लेखा शीर्ष-6408	0	3780000
5.	**दो- पूंजी अनुभाग** **4408- खाद्य भण्डारण और भण्डागारण पर पूंजी परिव्यय**	0	0
	योग लेखा शीर्ष 4408	**0**	0
	योग - पूंजी अनुभाग मतदेय	**0**	**1800000**
	योग - मांग संख्या-39	**5907368**	**7765881**
	योग मांग संख्या- 41		
1.	एक राजस्व अनुभाग		
	मांग संख्या 41-		
	शीर्ष - 2235		
	800- अन्य व्यय	0	3591760

	योग लेखा शीर्ष - 2235 मतदेय	**0**	**3591760**
2	**शीर्ष - 2408**		
	102- खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	0	608
	190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश	0	300006
	योग लेखा शीर्ष - 2408 मतदेय	**0**	**300614**
	योग राजस्व अनुभाग	**0**	**3892374**
9.	**दो- पूंजी अनुभाग-6408**		
	02 खाद्य भंडारण और भंडागारण		
	190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार	0	3610000
	योग पूंजी अनुभाग	**0**	**3610000**
	योग - मांग संख्या - 41	**0**	**6950100**

मांग संख्या - 64			
11.	**एक राजस्व अनुभाग मांग संख्या - 64**		
	शीर्ष - 2235		
	800- अन्य व्यय	0	1134240
	योग लेखा शीर्ष - 2235 मतदेय	**0**	**1134240**
2	**शीर्ष - 2408**		
	102- खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	0	192
	190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश	0	56844
	योग लेखा शीर्ष - 2408 मतदेय	**0**	**57036**
	योग राजस्व अनुभाग	**0**	**1191276**
3	**दो पूंजी अनुभाग शीर्ष-6408**		
	02- खाद्य भंडारण और भंडागारण 190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को उधार	0	2640000
	योग पूंजी अनुभाग	**0**	**2640000**
	योग (मांग संख्या- 64)	**0**	**3831276**

(मैनुअल -13)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित योजनाएं

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

बी.पी.एल. योजना

उद्देश्य :- इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसिन प्रदाय किया जाना है । इस योजना के द्वारा हितग्राहियों को रियायती दर पर 35 किलो खाद्यान्न हर माह उपलब्ध कराया जाता है ।

पात्रता :- वर्ष 2002 (ग्रामीण) तथा वर्ष 1997 (शहरी) की गरीबी रेखा की सर्वे सूची में सम्मिलित परिवार ।

दिए जाने वाले लाभ का विवरण :- पात्र हितग्राही प्रतिमाह अपनी पात्रता अनुसार खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन एवं आयोडीनयुक्त अमृत नमक निर्धारित दर पर प्राप्त करते हैं ।

वितरण की प्रक्रिया :- इस योजनान्तर्गत निर्धारित वर्ष की बी.पी.एल. सूची में शामिल हितग्राहियों को राशनकार्ड जारी किया जाता है तथा शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पात्रतानुसार खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसिन का वितरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना

उद्देश्य :- इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसिन प्रदाय किया जाना है । इस योजना के द्वारा 2.00 रूपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाता है ।

दिए जाने वाले लाभ का विवरण :- पात्र हितग्राही प्रतिमाह अपनी पात्रता अनुसार खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन एवं आयोडीनयुक्त अमृत नमक निर्धारित दर पर प्राप्त करते हैं ।

अन्त्योदय अन्न योजना

उद्देश्य :- इस योजना का उद्देश्य अति गरीब परिवारों को अत्यंत रियायती दर 1.00 रू. प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है ।

लक्ष्य :-

योजनान्तर्गत 7.19 लाख हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है ।

लाभार्थी की पात्रता :- अति गरीब परिवार एवं राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर एवं अबूझमाड़िया) के समस्त निर्धन परिवार ।

दिए जाने वाले लाभ:- 1.00 रू. प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार प्रतिमाह, 1.30 किलो शक्कर, 2 किलो अमृत नमक, केरोसीन 3.85 लीटर प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है ।

अन्नपूर्णा योजना

उद्देश्य :- इस योजनान्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलोग्राम चावल नि:शुल्क प्रदान किया जाता है ।

दिए जाने वाले लाभ:- प्रतिमाह 10 किलो चावल नि:शुल्क एवं पात्रतानुसार शक्कर, अमृत नमक, केरोसीन 3.85 लीटर प्रतिमाह प्रदाय किया जाता है ।

कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न का आबंटन

उद्देश्य :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों, आश्रमों में निवास कर रहे छात्रों एवं अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्रों को बी.पी.एल. दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

पात्रता :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों, आश्रमों में निवास कर रहे छात्रों को बी.पी.एल. दर पर 15 किलो खाद्यान्न प्रति हितग्राही प्रतिमाह उपलब्ध कराना ।

छत्तीसगढ अमृत नमक वितरण योजना

उद्देश्य :- सभी योजनाओं के रियायती दर पर राशन सामाग्री प्राप्त करने वाले राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह नि-शुल्क 02 किलो आयोडाईज्ड नमक उपलब्ध कराना।

पात्रता :- हितग्राही परिवार प्रतिमाह अधिकतम 02 किलो अमृत नमक उचित मूल्य दुकान के माध्यम से प्राप्त कर सकता है ।

अन्नपूर्णा दाल-भात योजना

उद्देश्य :- गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को अत्यंत कम दर 5.00 रूपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना ।

लक्ष्य :- राज्य में संचालित 157 अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन ।

पात्रता :- कोई भी जरूरतमंद हितग्राही ।

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन

उद्देश्य :- राज्य के किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करना ।

लक्ष्य :- प्रतिवर्ष 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर धान खरीदी की समुचित व्यवस्था करना ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके।

ग्रेन बैंक

उद्देश्य :- ग्रामीण ग्रेन बैंक का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक प्रकोप के दौरान या उस अवधि में जब मजदूरों अथवा जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध न होने से उनके पास

खाद्यान्न क्रय करने के पर्याप्त साधन न हो, ऐसे लोगों को भुखमरी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है ।

लक्ष्य :- वर्तमान में 1904 ग्रेन बैंक संचालित हैं ।

पात्रता :- गांव में निवास करने वाले कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ग्रामीण ग्रेन बैंक से आवश्यकतानुसार खाद्यान्न ऊधार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं ।

लाभ की मात्रा :- अधिकतम 01 क्विंटल चावल उधार के रूप में प्राप्त किया जा सकता है ।

(मैनुअल -14)

रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों की प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

संचालनालय से संबंधित नहीं है ।

(मैनुअल -15)

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण, विनियम एवं प्रदाय हेतु निम्नानुसार नियम/अधिनियम/आदेशों का प्रवर्तन किया जाता है :-

01. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001
02. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004
03 छत्तीसगढ् आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश, 2009
04. छत्तीसगढ़ चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना आदेश, 1980
05. छत्तीसगढ़ चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2007
06. छत्तीसगढ़ केरोसीन (उपयोग पर निर्बंधन एवं अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993
07. छत्तीसगढ़ मोटर स्प्रिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980
08. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस उपयोग एवं नियंत्रण आदेश, 2000
09. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
10. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

(मैनुअल -16)

इलेक्टानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी - इलेक्टानिक रूप में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वेबसाईट तैयार की जा रही है जिसमें विभागीय योजनाओं एवं क्रियाकलापों की जानकारी उपलब्ध होगी ।

(मैनुअल -17)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए संचालनालय में दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था है ।

संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित

संयुक्त संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप संर
रायपुर